भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

**राज्य सभा**

लिखित प्रश्न सं. 3336

गुरुवार, 21 अगस्त, 2025/30 श्रावण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

**उच्च जोखिम वाले स्थानों पर पर्यटकों की सुरक्षा**

**3336 श्री देरेक ओब्राईन:**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने विशेष रूप से अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुई घटना के मद्देनजर संघर्ष-ग्रस्त या उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल की समीक्षा के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पर्यटकों के लिए जमीनी सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ऐसे स्थलों पर आने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, परामर्श या डिजिटल अलर्ट प्रणाली जारी करने का विचार रखता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (घ): पर्यटकों की सुरक्षा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार का विषय है। हालाँकि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों के लिए जमीनी सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करने हेतु समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है।

पर्यटकों की यात्रा को सुरक्षित बनाने के मंत्रालय के निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में, पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए टोल फ्री नंबर 1800111363 या संक्षिप्त कोड 1363 पर 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं (जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी,

पुर्तगाली, रूसी, चीनी, जापानी, कोरियाई, अरबी) एवं हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में 24x7 बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन की स्थापना की है, ताकि भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी के संदर्भ में सहायता सेवा प्रदान की जा सके और भारत के भीतर यात्रा करते समय संकट में फंसे पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन दिया जा सके।

सरकार ने एक समर्पित गैर-व्यपगत कोष - निर्भया कोष की स्थापना की है, जिसका प्रबंधन वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है और जिसका उपयोग विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए तैयार की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों से निर्भया कोष के अंतर्गत 'महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल' का लाभ उठाने का अनुरोध करता रहा है, जिसका उपयोग विशेष रूप से महिला पर्यटकों की सुरक्षा में सुधार हेतु डिज़ाइन की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

पर्यटन मंत्रालय ने "महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल" योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए कुल 16.79 करोड़ रु. (लगभग) स्वीकृत किए हैं।

*****